न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 15 / 2022

पीठासीन अधिकारी –श्री सूरजभान विश्नोई, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अ.

अनवान :–

1. मरवी पत्नि कंवरा, जाति मुसलमान
निवासी सेंवरों का तला (कापराऊ),
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

बनाम

1. तहसीलदार चौहटन 2.मामन्द 3.सायब पि.कंवरा
जाति मुसलमान, निवासी सेंवरों का तला (कापराऊ),
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

अधिवक्तागण –

प्रार्थी :–	**श्री हुकमसिंह गोदारा**
विप्रार्थीगण :–	**एकतरफा**

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

निर्णय

दिनांक :– 16.07.2024

प्रार्थीनी के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं विप्रार्थी सं. 2 से 3 के नाम से मौजा सेंवरों का तला (कापराऊ) तहसील चौहटन में खाता सं. 31 खसरा सं. 18 रकबा 66.18 बीघा, खसरा सं. 82/19 रकबा 27.15 बीघा, जुमले रकबा 94.13 बीघा के आये हुए है। मूल रूप से उक्त [illegible] कंवरा की खातेदारी का था तथा कंवरा के स्वर्गवास के बाद उक्त खातों का नामान्तरकरण उनके विधिक वारिसान प्रार्थीनी एवं विप्रार्थी सं. 2 व 3 के नाम से स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थीनी का सही नाम मरवी पत्नि कंवरा के स्थान पर मुरबत पत्नि कंवरा दर्ज कर दिया जो गलत दर्ज किया गया। प्रार्थीनी का सही नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.08.20 11:15:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

मरवी पत्नि कंवरा है। प्रार्थीनी का मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड आदि में यही नाम अंकित है। इसलिए प्रार्थी उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में अंकित अपना गलत नाम मुरबत पत्नि कंवरा के स्थान पर मरवी पत्नि कंवरा दुरस्त करवाना चाहती है। इस हेतु आवेदन पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

प्रार्थीनी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया, विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त बावजूद विप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया, अतः विप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थीनी के नाम दुरस्ती की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट तहसीलदार चौहटन से मंगवाई गई। तहसीलदार चौहटन से नाम दुरस्ती संबंधी तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें तहसीलदार चौहटन द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीनी का दर्ज नाम मुरबत पत्नि कंवरा के स्थान पर मरवी पत्नि कंवरा दुरस्त किया जाना प्रस्तावित किया ।

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीनी के वकील की बहस सुनी गई। बहस पर मन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । जिसके आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रार्थीनी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थीनी का आवेदन अन्तर्गत धारा 136 RLR Act का स्वीकार किया जाकर मौजा सेंवरों का तला (कापराऊ) तहसील चौहटन में खाता सं. 31 खसरा सं. 18 (वर्तमान संशोधित खसरा सं. 218/18) एवं खसरा सं. 82/19 में दर्ज प्रार्थीनी का नाम मुरबत पत्नि कंवरा के स्थान पर मरवी पत्नि कंवरा दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर [illegible] संख्या से एक कम हो।

(सूजरभान विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.08.20 11:15:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन